संख्या- 5/2026/ 1809/42-01013/2/2025

प्रेषक,

कुमार विनीत,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक-05-08-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि को निदेशक, खेल के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-I/692561/2026/2026-27, दिनांक 21.07.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व पक्ष के अन्तर्गत प्राविधानित बजट धनराशि अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत विभिन्न मदों के लिए धनराशि रू0 52,55,58,000/-(रुपये बावन करोड़ पचपन लाख अट्ठावन हजार मात्र) निम्नवत् विवरण के अनुसार श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निदेशक, खेल के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि प्रदेशन मात्र है, यह किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त- पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) शासकीय व्यय में मितव्ययिता हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-सीए-934/10-2004- मित-1/2007, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का विशेष रूप से पालन किया जाये।

(3) जिन मदों में निदेशालय के नियंत्रक अधिकारी स्वयं अपने स्तर से धनराशि स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत हैं, उन स्वीकृतियों से सम्बन्धित आदेशों की प्रति शासन को अनिवार्य रूप से पृष्ठांकित करके उपलब्ध करायी जायेगी तथा व्यय के वास्तविक विवरण भी माह के 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक- 28 मार्च, 2025 में निहित प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) राजस्व मद के अन्तर्गत अवशेष धनराशि को निवर्तन पर रखे जाने का प्रस्ताव शीघ्र ही निदेशक, खेल द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय लेखाशीर्ष: 2059800530300 (मेयोहाल इलाहाबाद के अनावासीय भवनों का अनुरक्षण)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	022	2059800530300 मेयोहाल इलाहाबाद के अनावासीय भवनों का अनुरक्षण	29 अनुरक्षण	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
	कुल			**12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2204000010300 (खेलकूद निदेशालय)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	022	2204000010300 खेलकूद निदेशालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
	कुल			**3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2204001040400 (क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय (बालिकाओं हेतु))

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	022	2204001040400 क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय (बालिकाओं हेतु)	42 अन्य व्यय	1,59,09,000 (रुपये एक करोड़ उनसठ लाख नौ हजार मात्र)
	कुल			**1,59,09,000 (रुपये एक करोड़ उनसठ लाख नौ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2204001040600 (क्रीडा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय- (बालको हेतु))

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	022	2204001040600 क्रीडा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय- (बालको हेतु)	42 अन्य व्यय	4,84,49,000 (रुपये चार करोड़ चौरासी लाख उनचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कुल			**4,84,49,000 (रुपये चार करोड़ चौरासी लाख उनचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2204001040900 (क्रीड़ागनों/स्टेडियमों/बहुउद्देशीय हालों/तरणतालों /छात्रावासो एवं भवनों का अनुरक्षण)

क्र.सं.	**अनुदान संख्या**	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	022	2204001040900 क्रीड़ागनों/स्टेडियमों/बहुउद्देशीय हालों/तरणतालों /छात्रावासो एवं भवनों का अनुरक्षण	29 अनुरक्षण	5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)
	कुल			**5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2204001041100 (क्रीड़ा एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (राज्य से.))

क्र.सं.	**अनुदान संख्या**	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	022	2204001041100 क्रीड़ा एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (राज्य से.)	42 अन्य व्यय	14,00,00,000 (रुपये चौदह करोड़ मात्र)
	कुल			**14,00,00,000 (रुपये चौदह करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2204001041200 (खेल कूद उपकरण सामग्री की सम्पूर्ति)

क्र.सं.	**अनुदान संख्या**	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	022	2204001041200 खेल कूद उपकरण सामग्री की सम्पूर्ति	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)
	कुल			**4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2204001041300 (राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार)

क्र.सं.	**अनुदान संख्या**	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	022	2204001041300 राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों	20 सहायता अनुदान -	10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		को पुरस्कार	सामान्य (गैर वेतन)	
	कुल			**10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2204001041800 (प्रशिक्षण (राज्य सेक्टर))

क्र.सं.	**अनुदान संख्या**	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	022	2204001041800 प्रशिक्षण (राज्य सेक्टर)	42 अन्य व्यय	10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)
	कुल			**10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)**
महायोग		**52,55,58,000 (रुपये बावन करोड़ पचपन लाख अट्ठावन हजार मात्र)**		

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
कुमार विनीत
विशेष सचिव।

<u>संख्या-5/2026/ 1809/42-01013/2/2025, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ 2, उ0प्र0 शासन ।
6- गार्ड फाइल / कम्प्यूटर प्रति ।

आज्ञा से,
कुमार विनीत
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।